न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

मि०न०
110 / 2025

तारीख दायरा
22.07.2025

तारीख फैसला
17-10-25

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामकरण आत्मज औंकार उम्र.... वर्ष जाति लश्करी निवासी ग्राम गढेपान की झोपडिया हाल निवास गणेश कीराना स्टोर के पास वार्ड नम्बर 31 प्रेम नगर तृतीय कोटा राजस्थान 324004

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री दिनेश कुमार वैष्णव एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

—:: निर्णय ::—

वादीगण ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :—

1— यह की ग्राम रूग्घी तह० दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 42 की खसरा नम्बर 233 रकबा 3.58 हेक्टर भूमि सहखातेदारी मे स्थित चली आ रही है। जिसमें वादी का नाम रामकरण पुत्र औंकार का नाम दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2073 से 2076 संलग्न है।

2. यह कि उक्त आराजी मे वादी का नाम रामकरण दर्ज कर दिया गया है जबकि वादी का समस्त दस्तावेजो में वादी का नाम रामचरण दर्ज है। जिससे वादी को सरकारी योजनाओ में किसान क्रेडिट कार्ड आदी लेने में परेशानी आ रही है जिसे दुरस्त किये जाना अति आवश्यक है।

3— यह की वादी का नाम आधारकार्ड पेनकार्ड, बैंक डायरी आदी में रामचरण दर्ज है इस कारण वादी का नाम रामकरण के स्थान पर रामचरण का दुरूस्त किये जाना आवश्यक है।

4. यह की प्रतिवादीयो के कर्मचारियो द्वारा ग्राम रूग्धी की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम रामकरण के स्थान पर रामचरण दर्ज करवाने के लिये दिनांक 12/03/2025 को कहा गया तो उन्होने नाम दुरूस्त करने से मना कर दिया कोई ध्यान नही दिया गया। जिस कारण वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है।

5. यह की वाद कारण 12/03/2025 को उत्पन्न हुआ ।

अतः वाद प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिग्री पारित की जाये की ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा मे खाता संख्या 42 खसरा नम्बर 233 रकबा 3.58 हेक्टर भूमि में स्थित चली आ रही है जिसमें वादी का नाम रामकरण दर्ज है वादी का नाम रामकरण के स्थान पर रामचरण दर्ज किये जाने व राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्त किये जाने की आज्ञा व डिग्री पारित कि जाये।

1 यह कि प्रतिवादी को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर रिपोर्ट न्यायालय मे भिजवाये ।

2 यह कि अन्य सहायता हो वह भी वादी को प्रदान की जावे ।

वादीगण की ओर से निम्न लिखित दस्तावेज वाद पत्र के साथ संलग्न किये है:-

1. नकल जमाबन्दी ग्राम रूग्घी सवंत् 2073-2076 खा सं0नया 42
2. नकल आधार कार्ड तथा पेन कार्ड
3. नकल वोटरआईडी कार्ड

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी विवित करवायी गई प्रतिवादी तहसीलदार दीगोद की ओर से प्रस्तुत जवाब सरकार शामिल मिसल किया गया। पत्रावली को साक्ष्य में नियत किया गया। साक्ष्य PW1 में स्वंय वादी रामकरण आत्मज औंकार जाति लश्करी निवासी गढेपान की झोपडिया तहसील दीगोद जिला कोटा का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तत्पश्चात पत्रावली को बहस पर नियत किया गया। बहस वादी के अधिवक्ता की सुनी गयी। वादी के अधिवक्ता ने प्रस्तुत वाद पत्र के बिन्दुओं को दोहराया।

प्रकरण मे बहस के कथनों पर मनन करने और पत्रावली पर उपलब्ध जवाब सरकार, दस्तावेजात के आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में वादी का वाद स्वीकार स्वीकार किये जाने योग्य है अतः वादी का नाम रामकरण के स्थान पर रामकरण उर्फ रामचरण किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 42 खसरा नम्बर 233 रकबा 3.58 हेक्टर भूमि में वादी का नाम रामकरण के स्थान पर रामकरण उर्फ रामचरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 17/10/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

मूल वाद में डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

1– रामकरण आत्मज औंकार उम्र.... वर्ष जाति लश्करी निवासी ग्राम गढेपान की झोपडिया हाल निवास गणेश कीराना स्टोर के पास वार्ड नम्बर 31 प्रेम नगर तृतीय कोटा राजस्थान 324004

(वादी)

बनाम

1– राज0सरकार जरिये तहसीलदार तहसील दीगोद जिला कोटा राज0

(प्रतिवादी)

वादी की ओर से – श्री दिनेश कुमार वैष्णव एडवोकेट

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89, आर.टी.एक्ट ,बाबत नाम दुरूस्ती

मिसल न0 110/2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि – वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाता है। राजस्व रिकार्ड में ग्राम रूग्धी तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 42 खसरा नम्बर 233 रकबा 3.58 हेक्टर भूमि में वादी का नाम रामकरण के स्थान पर रामकरण उर्फ रामचरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। मुताबिक् निर्णय राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। तद्नुसार डिक्री जारी की जाती है।

मेरे दस्तख्त व मोहर से आज दिनांक 17/10/25 को सरे इजलास जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपयै	पैसे	मुदालयह	रूप्ये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद